न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 66/2022

1. पूरण सिंह पुत्र स्व0 श्री आनन्दीप्रसाद, उम्र 67 वर्ष जाति कोली,
2. श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री पूरण सिंह, जाति कोली, उम्र 63 वर्ष निवासीगण इन्द्रा नगर, धोलाभाटा, अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हेमन्त कुमार पुत्र श्री पूरण सिंह
2. श्रीमती दीपिका पत्नी श्री हेमन्त कुमार
   दोनों जाति कोली, निवासीगण इन्द्रा नगर, धोलाभाटा, अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09..2022 अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 01.06.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 30.9.2022, जिसमें "प्रार्थीगण (अपीलान्ट) अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) को प्रार्थी अपनी इच्छानुसार रहने हेतु से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये । उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थीगण श्री पूरण सिंह पुत्र स्व0 श्री आनन्दी प्रसाद व श्रीमती गुड्डी पत्नि श्री पूरण सिंह, निवासीगण इन्द्रा नगर धोलाभाटा, अजमेर द्वारा माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अन्तर्गत 2007 से हुआ है। प्रार्थी 67 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है, प्रार्थी की पत्नी 63 वर्षीय वृद्व महिला है जो कि दोनो उपरोक्त वर्णित पते पर निवास कर रहे है। प्रार्थी संख्या 1 पत्नि सहित अर्थात प्रार्थीयॉ संख्या 2 सहित निवास कर रहा है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी संख्या 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, प्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी संख्या 1 की मदद से निर्माण कार्य करवाकर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में निवास कर रहे है, प्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व पत्नि द्वारा तलाक लिये जाने व बच्चो के बाल्यकाल को देखते हुए पुर्नविवाह किया तथा अपने बच्चो का उचित पालन पोषण करते हुए खाने कमाने लायक कर दिया । पांचो बच्चो का विवाह भी अपनी यथा सम्भव किया । विवाह उपरान्त अप्रार्थीगण को अपने साथ रखा ताकि

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

बच्चे प्रार्थीगण की वृद्वावस्था में देखभाल कर सके। अप्रार्थीगण की नजर हमेशा से प्रार्थीगण की सम्पत्ति पर थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को बहला फुसलाकर तथा भविष्य की सार संम्भाल व भरण पोषण करने का आश्वासन देकर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में से 47.9 वर्गगज सम्पत्ति जरिये उपहार विलेख अपने नाम करवा ली जिसका पंजीयत उप पंजीयक अजमेर में दिनांक 10.01.2019 को चस्पा किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 भविष्य में प्रार्थीगण की सेवा, सार संभाल करेगा, अपने नाम उपहार विलेख निष्पादित करवाया । परन्तु अपने समस्त उदेश्य की पूर्ति होने के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति से बेदखल करने पर आमादा होते हुए प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट भी कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की सम्पत्ति हथियाने के लिए उसके व उसके परिवार के साथ कोई भी अवांछनीय घटना कारित कर सकते है। प्रकरण में विचारण के दौरान अप्रार्थीगण को पाबन्द करे कि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से प्रताडित नही करे और प्रार्थी व उसके पूरे परिवार को शान्तिपूर्वक निवास करने देवे, अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण उसके परिवार के लिए प्रतिमाह 5000:/– रूपये भरण पोषण भी अदा करे । धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को बहला फुसलाकर अपने हक व उपहार विलेख को शून्य घाषित करते हुए उपहार विलेख में दान की गई सम्पत्ति को पुनः प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में समाहित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलार्थी बेहद हिंसक एवं झूठा हैं। अपीलांट 2 रेस्पोडेन्ट 1 की जायंदा माता नही होकर बल्कि सौतेली है। अपीलांट को पूर्व से ही जायंदा माता की संतानो से लगाव नही रखा जाकर तमाम को प्रताडित किया जाकर सम्पत्ति से बाहर निकालना चाहते हुए उसके द्वारा वाद मय अस्थाई निषेघाज्ञा का आवेदन दायर किया हुआ होकर विचाराधीन है रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से भी रकम प्राप्त करते हुए सम्पत्ति भाग को बेचान बैनामा निष्पादन व पंजिकृत करवाये जाने पर स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस में अधिक पैसा व्यय होना बताया जाकर उपहार विलेख निष्पादित करते हुए अब उसे भी हजम करने की ईच्छा रख रेस्पोडेन्ट के अलग रहते हुए भी रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान किया । रेस्पोडेन्ट 1 के अपनी मजदूरी पर चले जाने के दौरान उसकी पत्नि को मानसिक शारिरिक व हर प्रकार से प्रताडित किया जाने के कारण रेस्पोडेन्ट 2 द्वारा घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्व दाया किया जाकर विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे ।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया । अपीलान्टगण नियमित रूप से सुनवाई हेतु भी उपस्थित नहीं हो रहे साथ ही अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे । अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 30.09.2022 पारित किया गया है, जो कि विधि संम्वत् एवं न्यायोचित है अधीनस्थ

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.09.2022 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझती है अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 यथावत किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर